(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 47 / 2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 115**

1. रोहताश पुत्र मातादीन जाति जाट निवासी खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

................**वादी**

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र मातादीन
2. सतीश पुत्र हरिसिंह
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह
4. विजयपाल पुत्र हरिसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुंझुनू राज0

................**प्रतिवादीगण**

दावा बाबत:– खाता विभाजन

–:निर्णय:– **दिनांक:–** 2/12/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम–खानपुर तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता स. 170 के खसरा न.380 रकबा 1.44 है. खसरा न.513 रकबा 2.94 है. खसरा न. 83 रकबा 2.24 है. कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 है. के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
2. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकारो ने बाहमी बँटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बँटवारा के मुताबिक सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक रूप से काबिज काश्त है। वादी [illegible] हिस्से की भूमि को ओर अधिक उपजाऊ करने के लिए खाद डालकर संभाल कर [illegible] उपजाऊ किया है पेड़–पोधे लगाये है तथा वादी मोंके पर शांतिपूर्वक [illegible] अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:47 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी का भाग 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारे के मुताबिक काबिज काश्त है।
4. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार 5 रोज पूर्व वादी अपने हिस्से व बाहमी बंटवारे के मुताबिक कब्जेशुदा कृषि भूमि को काश्त करने लगा तो वादी को उसके हिस्से व कब्जे शुदा भूमि को काश्त नहीं करने दिया तो वादी ने प्रतिवादीगण को विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी ने खाता विभाजन करवाने से इनकार कर दिया तथा वादी के कब्जेशुदा भूमि के काश्त करने में दखलंदाजी करने लगे तब दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ। यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।
5. यह कि विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान ने मोके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बांहमी बंटवारा के अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण गत 5 रोज से लगातार धमकी दे रहे है कि वह वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे। वादी को उनके हिस्से व कब्जे से बेदखल करेंगे अगर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो वादी को अपुर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा गत 5 रोज से वादी के हिस्से व कब्जेशुदा भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर बाहुबली को बेचान करने की धमकी देने से आधार विवाद – पैदा हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।
6. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुन में स्थित है जो कि माननीय न्यायालय हाजा की सीमा में स्थित है इसलिये वाद सुनवाई का श्रवाणाधिकार न्यायालय हाजा को ही है।
7. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामे पेश है।
8. यह कि वादी का शपथ पत्र सलग्न वाद पत्र है।
9. यह कि राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि लेने के बाद राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क) कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण ... डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम–खानपुर में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 70 ... खसरा न.380 रकबा 1.44 है. खसरा न.513 रकबा 2.94 है. खसरा ... है कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 है. में वादी का भाग 1/2 हिस्से की भूमि का पक्षकारान के कदीमी बाहमी बंटवारा, हिस्से व कब्जे अनुसार व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

18 से 21 एवम् रास्तो सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को द्रष्टिगत रखते हुए खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा लगान व अलहेदा खाता कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री महेश साखला एडवोकेट द्वारा वकालतनामा जवाब दावा दिनांक 30.06.2025 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 30.06.2025 को लाई गई।

प्रतिवादी स0 1 व 4 की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार से पेश हैः—

1. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 1 स्वीकार है।
2. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 2 स्वीकार है।
3. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 3 स्वीकार है।
4. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 4 स्वीकार है।
5. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 5 स्वीकार है।
6. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 6 स्वीकार है।
7. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 7 स्वीकार है।
8. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 8 में शपथ पत्र की नकल नहीं दी गई है
9. यह की वाद पत्र का खण्ड न0 9 कानूनी है।

अतिरिक्त उतर

यह कि प्रतिवादीगण स0 1 का ग्राम खानपुर स्थित कृषि भूमि खाता स. 170 के खसरा न. 380 रकबा 1.44 है. खसरा न. 513 रकबा 2.94 है. खसरा न. 83 रकबा 2.24 है. कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 है. में प्रतिवादी का कबजा व हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन कर दिया जावे।

अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण का मौके व कब्जे व हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन किये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अ[illegible]न्या[illegible]य वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री [illegible] की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के [illegible]क 576 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रां[illegible] 228 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 170 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 170 के खसरा नम्बर 380 रकबा 1.44 हैक्टर खसरा नम्बर 513 रकबा 2.94 हैक्टर खसरा नम्बर 83 रकबा 2.24 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 2-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 47 / 2025 जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 114

रोहिताश **बनाम** हरिसिंह आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री महेश सांखला एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 170 के खसरा नम्बर 380 रकबा 1.44 हैक्टर खसरा नम्बर 513 रकबा 2.94 हैक्टर खसरा नम्बर 83 रकबा 2.24 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.62 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested